न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : भुवनेश्वर सिंह चौहान (आर.ए.एस)

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 38/2023 GCMS No.2023/105		
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालोतरा।	**बनाम**	1.पाबूराम पुत्र गिरधारीराम उम्र 47 वर्ष जाति जाट निवासी बस स्टेण्ड के सामने, मेगा हाईवे,भूका भगत सिंह फर्म मैसर्स चौधरी किराणा एण्ड जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड के सामने, मेगा हाईवे, भूका भगत सिंह, का विक्रेता एवं मालिक) 2. देवाराम पुत्र हड़मानजी निवासी मायलो का वास, जसोल फर्म मैसर्स मनोज ऐजन्सी, मूंगडा रोड, कृषी उपज मण्डी, बालोतरा का मालिक 3. बाबूलाल सैनी पुत्र घासीराम सैनी निवासी मालीयो का मोहल्ला, भानपुर कलां, जमवारामगढ, जयपुर फर्म मैसर्स लक्ष्मी टी क० प्रा० लि०, रूम नम्बर 304,03 फ्लोर, दुर्गा बिजनेस सेंटर, जयपुर का नोमिनी परसन। 04. फर्म मैसर्स लक्ष्मी टी क० प्रा० लि०, रूम नम्बर 304,03 फ्लोर, दुर्गा बिजनेस सेंटर, जयपुर।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम की धारा 26 की उप धारा 2(ii) व दण्डनीय धारा 51

उपस्थित

1. अभियोजन अधिकारी, बालोतरा प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 02 (गैर सायल) देवाराम पुत्र हड़मानजी निवासी मायलो का वास, जसोल फर्म मैसर्स मनोज ऐजन्सी, मूंगडा रोड, कृषी उपज मण्डी, बालोतरा का मालिक जिला बालोतरा स्वयं उपस्थित।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट★बालोतरा (राज.)★

आदेश

दिनांकः– **31.12.2025**

प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बालोतरा द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बालोतरा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि **अप्रार्थी संख्या 02 (गैर सायल) देवाराम पुत्र हड़मानजी निवासी मायलो का वास, जसोल फर्म मैसर्स मनोज ऐजन्सी, मूंगडा रोड, कृषी उपज मण्डी, बालोतरा का मालिक जिला बालोतरा** पर निरीक्षण **दिनांक 23.03.2023** के दौरान विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ **चाय ब्राण्ड स्वाद** में मिलावट का शक होने पर नियमानुसार **कुल 02 दौ किलोग्राम** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **P-1939** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **चाय ब्राण्ड स्वाद** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **चाय ब्राण्ड स्वाद** का नमूना जांच उपरांत **L.S. /801/ Act / 2023/ 844 दिनांक 06.04.2023 में** **The sample of Tea (Svaad brand) bearing Code No. and Sr. No. P-1939 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Barmer is Misbranded food under section 3 (1) (zf) (C) (1) of Food Safety and Standards Act-2006** पाया गया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बालोतरा द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा **51** के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

1. **अप्रार्थी** को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। **अप्रार्थी खाद्य पदार्थ निर्माता स्वयं** उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। **अप्रार्थी** को प्रत्येक स्तर पर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है।हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। **अप्रार्थी** द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से संबंधित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। **अप्रार्थी** के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच उपरांत **L.S. /801/ Act / 2023/ 844 दिनांक 06.04.2023 में** **The sample of Tea (Svaad brand) bearing Code No. and Sr. No. P-1939 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Barmer is Misbranded food under section 3 (1) (zf) (C) (1) of Food Safety and Standards Act-2006** का पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर **अप्रार्थी** को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। **अप्रार्थी** स्वयं उपस्थित हुए तथा प्रकट किया कि **अप्रार्थी** की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूने में पाई गई मिलावट अज्ञानता के कारण हुई है। भविष्य में ऐसे भूल दोहराई नहीं जायेगी। **अप्रार्थी** द्वारा उक्त नमूना **चाय ब्राण्ड स्वाद** में रिपोर्ट **में L.S. /801/ Act / 2023/ 844 दिनांक 06.04.2023 में** **The sample of Tea (Svaad brand) bearing Code No. and Sr. No. P-1939 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Barmer is Misbranded food under section 3 (1) (zf) (C) (1) of Food Safety and Standards Act-2006** का पाये जाने के लिए प्रथम अपराध मानते हुए नरम रूख अपनाया गया। इस प्रकार **अप्रार्थी** की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **चाय ब्राण्ड स्वाद** का पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से **अप्रार्थी** के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा **51** के तहत जुर्म प्रमाणित है।
2. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा **51** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से **अप्रार्थी सं. 01 सें 04** पर **संयुक्त रूप से रुपये 35,000/– अक्षरे पैतीस हजार रूपये मात्र** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। **अप्रार्थी** उक्त जुर्माना राशि का **बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई–चालान – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालोतरा** के नाम पेश करें, जो पेश होने पर संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
3. आदेश दिनांक **31.12.2025** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(भुवनेश्वर सिंह चौहान)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट,बालोतरा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा